



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23082022-238306
CG-DL-E-23082022-238306

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3778]
No. 3778]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 23, 2022/भाद्र 1, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 23, 2022/BHADRA 1, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2022

का.आ. 3952(अ).—केन्द्रीय सरकार तंबाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 3 और 4 के साथ पठित तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 (1975 का 4) की धारा 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्ववर्ती वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 17 दिसंबर 1975 की अधिसूचना संख्या का.आ. 5417, (तम्बाकू उद्योग विकास नियंत्रण) में, एतद्वारा आगे निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में कॉलम 4 के अंतर्गत क्रम संख्या 18 में उक्ति “तम्बाकू के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने” के स्थान पर उक्ति “तम्बाकू विपणन में विशेषज्ञ” प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 2 /3 /2015 -ईपी (एग्री-VI) /भाग-I]

दिवाकर नाथ मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 17 दिसम्बर, 1975 के संख्यांक का.आ. 5417 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा उसमें पिछला संशोधन दिनांक 2 जून, 2022 के संख्यांक का.आ. 2539(अ) द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd August, 2022

S.O. 3952(E).—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Tobacco Board Act, 1975 (4 of 1975), read with rules 3 and 4 of the Tobacco Board Rules, 1976, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Commerce (Tobacco Industry Development Control), number S.O.5417, dated the 17th December, 1975, namely:-

In the said notification, against serial number 18, under column 4, for the words, “To represent the growers of tobacco”, the words, “Expert in Tobacco Marketing” shall be substituted.

[F. No. 2/3/2015-EP(Agri.VI)/Pt.1]

DIWAKAR NATH MISRA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 5417, dated the 17th December, 1975 and was lastly amended *vide* number S.O. 2539(E), dated the 2nd June, 2022.